न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध फौजदारी प्रार्थना पत्र सं.– 01/2024
जीसीएमएस सं. 2024/69
प्रार्थी:–

आवडदान पुत्र मलदान जाति चारण निवासी सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर हाल निवासी मकान नं. 44, वायु विहार कॉलोनी, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. रामगणेश मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. लिखमाराम पुत्र धनाराम सुथार निवासी सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. दीपाराम पुत्र धनाराम सुथार निवासी सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
4. शेषमल पुत्र चौथाराम सुथार निवासी कलाउ, देचू, जिला जोधपुर विकास अधिकारी, सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 195 सपठित धारा 340 दण्ड प्रकिया संहिता।

उपस्थिति:–

1. अधिवक्ता श्री के.के. गोयल (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार (अप्रार्थी सं. 02 व 03 की ओर से)
3. अप्रार्थी सं. 01 व 04 स्वयं उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 25.05.2026**

1. यह प्रार्थना पत्र 205 प्रकिया संहिता 1973 की धारा 195 सपठित धारा 340 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24.04.2022 को प्रार्थी आवडदान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी 1 रामगणेश मीणा व अप्रार्थी 4 शेषमल स्वयं पर नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए है तथा अप्रार्थी 2 व 3 की ओर से श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।
3. प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं. 3 दीपाराम ने भंवरदान पुत्र भीखदान निवासी सोमेसर के पक्ष में ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा मिसल संख्या 05/2010 में पट्टा विलेख संख्या 46

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दिनांक 28.12.2010 को निरस्त कने हेतु एक निगरानी संख्या 28/2020 (2020/00051) इस न्यायालय में राजस्थान पंचायत राज एक्ट, 1994 की धारा–97 के अन्तर्गत पेश की थी, जिसमें दिनांक 17.02.2021 को निर्णय पारित करके उक्त पट्टा संख्या 46 दिनांक 28.12.2010 को निरस्त कर दिया। अप्रार्थी लिखमाराम (सरपंच) के सगे भाई–दीपाराम को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए अप्रार्थी रामगणेश मीणा ने ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सोमेसर के रूप में पत्रांक 227/2020 एवं 229/20 से इस न्यायालय को प्रकट किया कि उक्त पट्टा संख्या 46 की मिसल व सम्बधित अभिलेख पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, जबकि वांछित सूचना अभिलेख के बारे में दिनांक 13.06.2019 को पुलिस थाना शेरगढ़ में रिकार्ड चोरी होने का मुकदमा सं. 97/2019 सुखदेव मेघवाल, उप सरपंच, ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा करा दिया था। ग्राम विकास अधिकारी ने जानबूझकर वास्तविक जानकारी न्यायालय में पेश नहीं की। वास्तविक तथ्य प्रकट करने चाहिए थे। झूठी सूचना देने से न्याय निर्णयन पर विपरीत असर पड़ेगा, जो उसके कर्तव्यों एवं दायित्वों के विपरीत है। उसने मिथ्या कथन किए है जबकि अभिलेख चोरी हो गया था। उसने वर्तमान सरपंच व उसके भाई से मिलावट कर उनका सहयोग कर आपराधिक षड़यंत्र करते हुए भ्रष्टतापूर्वक व विद्वेषपूर्वक प्रतिकूल रिपोर्ट पेश की है, जो विधि के प्रतिकूल होने के बारे में वह जानता है अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय को गलत राय कायम करने हेतु मजबूर किया तथा इसी परिणाम स्वरूप, न्यायलय ने उस पर विश्वास करके पट्टा खारिज करने का आदेश पारित किया है। अप्रार्थीगण ने एकराय होकर फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेजों की रचना कर बेईमानी पूर्वक सदोष लाभ प्राप्त किया। झूठे तथ्यों एवं फर्जी आधारों को रचकर दस्तोवज में कूटरचना कर मिथ्या साक्ष्य की रचना कर कूटकरण किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध किया है। अप्रार्थीगण ने धारा 193 आई.पी.सी. का अपराध किया है। वास्तविक तथ्यों को छुपाकर, कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय से गलत आदेश प्राप्त किया है तथा सदोष लाभ प्राप्त किया है, जो साशय प्रवंचना की श्रेणी में आता है जो आई.पी.सी. की धारा 420, 467, 468, 471, 193, 196, 120 बी सपठित धारा 195 एवं 340 सीआरपीसी के तहत गंभीर दण्डनीय अपराध है। अतः मुकदमा दर्ज कर अप्रार्थीगण को जेल भेजने का आदेश फरमावे।

4. अप्रार्थी सं. 1 श्री रामगणेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी, हाल पं.स. तूंगा, जिला परिषद, जयपुर की ओर से लिखित जवाब पेश हुआ, जिसके अनुसार दिनांक 15.07.2019 को ग्राम पंचायत सोमेसर में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यभार

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ग्रहण करने के बाद पूर्व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश परिहार से ग्राम पंचायत का चार्ज दिसंबर 2019 में प्राप्त हुआ। पूर्व ग्राम सेवक श्री राजेश परिहार द्वारा पुलिस थाना शेरगढ में सुखदेव मेघवाल पुत्र हीराराम मेघवाल उप सरपंच ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें के संबंध में चार्ज लेनदेन के समय अवगत नहीं कराया गया। मुझे अप्रार्थी सं. 03 का रिश्तेदार बताया है, जो पूर्णतया तथ्यहीन व निराधार है क्योंकि मैं मूल रूप से जयपुर जिले का निवासी हूँ। मुझे चार्ज में पूर्व ग्राम सेवक श्री राजेश परिहार से वर्ष 2010–11 से 2014–15 का पट्टा संबंधित कोई भी रिकॉर्ड चार्ज में प्राप्त नहीं होने एवं कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र एवं बयान जांच दल माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किये गये। पंचायत समिति शेरगढ द्वारा पूर्व में की गई जांचों में वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारियों ने अपने बयानों में अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत सोमेसर में किसी भी प्रकार के पट्टे जारी नहीं करने का उल्लेख किया है।

ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा वर्ष 2010–11 2011–12, 2012–13 के अंकेक्षण हेतु दिनांक 10.03.2014, 11.03.2014 व 23.03.2014 को पंचायत समिति शेरगढ मुख्यालय पर स्थानीय निधि अंकेक्षण दल से करवाये गये अंकेक्षण में निर्धारित अंकेक्षण प्रपत्र में प्रस्तुत सूचना अनुसार वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक ग्राम पंचायत सोमेसर में आबादी भूमि में एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया है, जारी पट्टों की संख्या शून्य बताई गई है। अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत सामान्य रोकड बही के गोश्वारे में भी वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 में आय मद में पट्टा आवेदन स्थल निरीक्षण शुल्क एवं पट्टा शुल्क के रूप में किसी भी प्रकार की राशि जमा नहीं पाई गई है। ग्राम पंचायत सोमेसर से वर्ष 2010 से 2015 तक की अवधि में किसी भी पट्टे की द्वितीय प्रति पंचायत समिति शेरगढ कार्यालय में जमा नहीं करवाई गई है।

अप्रार्थी सं. 2 शेषमल सुथार, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर की ओर से लिखित जवाब पेश हुआ, जिसके अनुसार मुझे प्रार्थना पत्र में विकास अधिकारी सोमेसर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर के रूप में मुझे सम्बोधित किया गया है जबकि सोमेसर में विकास अधिकारी का कोई पद नही है। मैं दिनांक 16.08.2020 से दिनांक 20.09.2021 की अवधि में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति शेरगढ में पदस्थापित रहा हूं।

विकास अधिकारी पंचायत समिति शेरगढ के आदेशानुसार उक्त अवधि में ग्राम पंचायत सोमेसर की पटटा सम्बन्धी शिकायतो की जांच मेरे द्वारा की गई, पंचायत

अपर जिला कलक्टर (ग्रामीण)
जोधपुर

समिति शेरगढ़ से सम्बधित जांच प्रकरणो की प्रमाणित प्रतिलिपि मेरे द्वारा प्राप्त की गई।

विकास अधिकारी पंचायत समिति शेरगढ़ के पत्रांक 45 दिनांक 01.09.2014 द्वारा प्राथमिक जांच 07/13 विरूद्ध श्री आवडदान सरपंच ग्राम पंचायत सोमेसर की जांच रिपोर्ट में सलंग्न तत्कालीन ग्राम सेवक श्री गणेश कुमार (कार्यकालः–2007 से 11.02.2011 एवं 20.03.2012 से मार्च 2013) एवं ग्राम सेवक श्री तेजाराम वैष्णव (कार्यकालः 11.02.2011 से 20.03.2012) के द्वारा तत्कालीन पंचायत प्रसार अधिकारी श्री राण सिंह तथा विकास अधिकारी श्री डूंगरसिंह चौधरी को दिये गये बयान अनुसार उनके कार्यकाल में ग्राम पंचायत सोमेसर में पटटे जारी करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की गई न ही पटटे जारी किये गये ।

माधुदान/वेणीदान के पटटा सं. 15 जारी दिनांक 28.12.2010 का रिकॉर्ड एवं अन्य जानकारी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में थानाधिकारी पुलिस थाना शेरगढ़ को प्रेषित पत्र के सन्दर्भ में दिनांक 14.09.2020 को श्री गणेश कुमार तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत सोमेसर के पूर्व जांचो में दिये गये बयानो का मेरे समक्ष पुनः सत्यापन किया गया जिसमें श्री गणेश कुमार ने पूर्व में दिए गए बयानों में उल्लेखित तथ्यों को सही बताते हुए पुनः दोहराया कि मेरे कार्यकाल वर्ष 2007 से 11.02.2011 एवं 20.03.2012 से मार्च 2013 तक ग्राम पंचायत सोमेसर में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार के पट्टे सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, न ही किसी प्रकार का कोई पट्टा जारी किया गया। उन्होने यह भी उल्लेखित किया कि मेरे इस कार्यकाल के दौरान अगर पट्टा जारी कर दिखाया गया है. तो उसे ग्राम पंचायत द्वारा जारी नही माना जावे, वह फर्जी है. मेरे द्वारा उन पट्टो पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये है और न ही मिसल आदि की कोई कार्यवाही की गई है। मेरे द्वारा दिनांक 29.03.2011 को श्री तेजाराम वैष्णव नव पदस्थापित ग्राम सेवक ग्राम पंचायत सोमेसर को खाली पट्टा बुक चार्ज में दी गई।

ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 के अंकेक्षण हेतु दिनांक 10.03.2014, 11.03.2014 व 23.03.2014 को पंचायत समिति शेरगढ़ मुख्यालय पर स्थानीय निधि अंकेक्षण दल से करवाये गये अंकेक्षण में निर्धारित अंकेक्षण प्रपत्र में प्रस्तुत सूचना अनुसार वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक ग्राम पंचायत सोमेसर में आबादी भूमि में एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया है, जारी पट्टों की संख्या शून्य बताई गई है। अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत सामान्य रोकड बही के गोश्वारे में भी वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 में आय मद में पट्टा आवेदन स्थल निरीक्षण शुल्क एवं पट्टा शुल्क के रूप में किसी भी प्रकार की राशि जमा नहीं पाई गई है। ग्राम पंचायत सोमेसर से

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

वर्ष 2010 से 2015 तक की अवधि में किसी भी पट्टे की द्वितीय प्रति पंचायत समिति शेरगढ कार्यालय में जमा नहीं करवाई गई है।

इस प्रकार दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2013 तक ग्राम विकास अधिकारी द्वारा विधिवत आवेदन एवं शुल्क प्राप्त कर मिसल कार्यवाही सहित ग्राम पंचायत सोमेसर के कार्यालय से कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। इन्ही तथ्यों के आधार पर पंचायत समिति शेरगढ से जिला प्रशासन/माननीय न्यायालयों/पुलिस थानों में लंबित पट्टा संबंधी प्रकरणों में जांच रिपोर्ट तथा सूचनाएं प्रेषित की गई है।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक गण की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।
7. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों को ही अपनी मौखिक बहस में दोहराया।
8. प्रकरण में अप्रार्थी सं. 02 व 03 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बेबुनियाद, मनगढंत एवं गलत तथ्यों पर पेश किया है। चूंकि पट्टा पूर्व में ही खारिज किया जा चुका है। जब प्रमुख दस्तावेज ही अमान्य घोषित हो गया तो उसके आधार पर कोई आपराधिक कार्यवाही न्याय का दुरूपयोग होगी। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।
9. प्रार्थी अभिभाषक द्वारा धारा 340 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया।
10. हमारा विनिश्चय इस प्रकार है:—

अप्रार्थीपक्ष द्वारा तत्कालीन समय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ही सूचना प्रेषित की थी। तत्कालीन ग्राम सेवक को गुमसुदगी की रिपोर्ट की जानकारी न होने के तथ्य का साक्ष्य/सबूत से खण्डन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि अप्रार्थी द्वारा जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया गया। प्रकरण में आपराधिक साक्ष्य का अभाव है।

विवादित पट्टे को सक्षम निगरानी न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 17.02.2021 के आदेश से खारिज किया जा चुका है। जब मुख्य दस्तावेज ही न्यायिक रूप से अमान्य घोषित हो चुका है, तो उसी दस्तावेज के आधार पर धारा 195 (1)(b) सी.आर.पी.सी. के तहत आपराधिक कार्यवाही चलाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत नहीं होता। अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देने का आशय भी प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित नहीं है।

विधिक स्थिति माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा **Iqbal Singh Marwah VS State of M.P.** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार धारा 340 के तहत कार्यवाही केवल तभी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

की जानी चाहिए जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कार्यवाही "न्यायहित में आवश्यक है।" न्यायालय का यह समाधान नहीं हुआ है कि अप्रार्थीगण द्वारा धारा 195 (1)(b) सी.आर.पी.सी. में वर्णित कोई अपराध घटित हुआ है या कारित किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत से अपराध प्रमाणित/साबित करने में असफल रहे है।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत नहीं होता कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय की कार्यवाही में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया गया है अथवा ऐसा कोई कृत्य किया गया है, जिससे भारतीय न्याय संहिता की धारा 195 (1)(b) सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि धारा 340 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत कार्यवाही हेतु जांच करने या परिवाद प्रस्तुत करने का पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है।

आदेश

12. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 195 सपठित 340 सी.आर.पी.सी. निरस्त किया जाता है।
13. प्रार्थना पत्र में अब कोई अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। तत्संबंधी कार्यवाही एतद्द्वारा Drop (समाप्त) की जाती है।
14. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर